विज्ञप्ति

तहसील सल्ट खुमाड़ के राजस्व ग्राम वनकोटा,राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र पनुवाद्योखन तहसील सल्ट खुमाड़ जिला अल्मोड़ा अन्तर्गत वर्षाकाल में विस्मोली गधेरा में अधिक जल प्रवाहित होने से गधेरे/नाले के किनारों की ओर स्थित आबादी क्षेत्र तथा कृषि भूमि को अत्यधिक जल प्रवाह के कारण भू-कटाव से प्रभावित होने की दृष्टिगत उक्त स्थान पर विस्मोली गधेरा /नाला के मध्य भाग में चैनलाईज तथा मलुवे के उठान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति 2016 यथा संसोधित 2020 के द्वारा गठित समिति की आख्या/संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश संख्या 3756(1)/तीस-14/ए.जे.ए./19-20 दिनांक 20.06.2020 के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जनहित में उत्तराखण्ड रिवर टेªनिंग नीति तथा सुसंगत नियमों के तहत उक्त स्थल को रिवर टेªनिंग हेतु स्वीकृत किया गया है तथा सम्बन्धित स्थल से आर.बी.एम. के चुगान/निस्तारण हेतु नियमानुसार उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति 2016 यथासंसोधित 2020 के अनुसार समिति को खुली नीलामी (Open Auction) कराते हुए उच्च बोलीकर्ता/सफल आवेदक चयन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतःतहसील सल्ट खुमाड़ अन्तर्गत राजस्व ग्राम वनकोटा राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र पनुवाद्योखन में विस्मोली गधेरा/नाला को चैनलाईज किये Open Auction जाने हेतु उक्त स्थल पर आर.बी.एम.के चुगान /निस्तारण के लिए खुली नीलामी (Open Auction) हेतु जनपद अल्मोड़ा के स्थानीय व्यक्तियों या संस्थाओं से आवेदन पत्र दिनांक 22 जून 2020 से 24 जून 2020 के अप्राहन्02:00 बजे तक उपजिलाधिकारी कार्यालय भिकियासैण में आमंत्रित किये जाते है। तदुपरान्त सफल आवेदक के चयन हेतु दिनांक 24 जून 2020 को अप्रान्ह 03:00 बजे उपजिलाधिकारी कार्यालय भिकियासैंण में गठित समिति के सदस्यों के सम्मुख खुली नीलामी (Open Auction) की जायेगी।

खुली नीलामी हेतु चिन्हित क्षेत्र का विवरण व शर्ते निम्नवत है

क्र.सं	खुली नीलामी हेतु चिन्हित स्थल का नाम	तहसील का नाम	नदी/ नाले का नाम	आंकलित मात्रा	खसरा सख्ंया तथा क्षेत्रफल	आधार मूल्य
1	राजस्व ग्राम वनकोटा,राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र पनुवाद्योखन	तहसील सल्ट खुमाड़	विस्मोली गधेरा	17,070.00 घनमीटर अथवा 37,554	ग्राम वनकोटा के गै.ज.वि.ख.खाता संख्या 30 श्रेणी 10(1) के खेत संख्या 1340 मध्ये रकवा 0.190हैक्टे,खेत संख्या 1617 मध्ये रकवा 0.206हैक्टे,खेत संख्या 1618 मध्ये रकवा 0.078 हैक्टे खेत संख्या 1619 मध्ये रकवा 0.074 हैक्टे. एवं खेत संख्या 1620 मध्ये रकवा 0.021 हैक्टे कुल रकवा 0.569 हैक्टे.	13,14,390 /- ; तेरह लाख चैदह हजार तीन सौ नब्बे)

1. आवेदक जनपद का स्थायी निवासी हो जिसके प्रमाण हेतु आवेदक द्वारा स्थायी निवास अथवा मूल निवास, प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

2. खुली बोली हेतु आधार मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि अरनेस्ट मनी के रूप में ड्राफ्ट बनाकर जो जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के नाम बन्धक हो प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

3. आवेदन कर्ता को खुली नीलामी मे प्रतिभाग करने हेतु आवेदन पत्र(एम.एम.8) रू. 5000/-(पाच हजार रू.) के कोषागार चालान निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर उपजिलाधिकारी कार्यालय भिकियासैण में मूल प्रति जमा कर प्राप्त किया जायेगा।

4. आवेदनकर्ता द्वारा अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र (जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. आवेदनकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश के किसी भी काली सूची में न होने के सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

6. आवेदक का जी.एस.टी.नम्बर होना अनिवार्य होगा जिसकी स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी।

7. बोली में चिन्हित स्थल पर आर.बी.एम.की मात्रा तथा पहुॅच/निकासी मार्ग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आवेदनकर्ता की होगी।

8. आर.बी.एम.की निकासी हेतु मार्ग तथा किसी भी स्थानीय विवाद की स्थिति में सफल घोषित बोलीधारक/चयनित सफल आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

9. सफल घोषित बोलीकर्ता द्वारा उच्च बोली गयी धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि तहसील सल्ट/भिकियासैण में तत्काल जमा की जानी होगी।

10. सफल बोलीकर्ता को बोली गयी उच्च धनराशि का नियमानुसार 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क, 25 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास अल्मोड़ा में अंशदान तथा 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित शुल्क तथा अन्य शुल्क रायल्टी के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से अग्रिम जमा किया जाना होगा।

11. आर.बी.एम.का निस्तारण उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001(समय समय पर यथासंसोधित) व सुसंगत विधिक प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा हटाये गये आर.बी.एम.पर रायल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित शुल्क भी लिया जायेगा।

12. मलवे का निस्तारण यथासंभव मानव शक्ति द्वारा नदी के दोनों किनारो से एक चैथाई भाग को छोड़ते हुए किया जायेगा। गधेरे में मलवे के उठान के समय गधेरे के अपस्ट्रीम भाग की ओर काई धारा गधेरे के किनारों वाले भागों (25 प्रतिशत छोड़े गये भाग) की ओर बह रही हो तो उस धारा को बोल्डर तथा अपशिष्ट मलवे से बंन्द कर गधेरे के मध्य चैनेलाईज किये जाने वाले भाग की ओर किया जाना आवश्यक होगा।

13. सफल बोलीकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिग नीति 2020 के नियमो/प्राविधानों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाना होगा तथा सम्पूर्ण अनुमत मलवे को गधेरे के तल से बाहर हटाया जाना आवश्यक होगा।

14. आर.बी.एम.निस्तारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति 2016 यथा संसोधित 2020 के अनुसार अल्प अवधि की अनुज्ञा वर्षा काल से पूर्व अथवा खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटाये जाने की अवधि,इसमें से जो भी पहले हो के लिए स्वीकृत की जायेगी।

15. स्वीकृत क्षेत्र से बाहर चैनलाईजेशन का कार्य तथा उठान का कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। सीमांकित क्षेत्र के बाहर कार्य किये जाने पर सफल बोलीकर्ता पर नियमानुसार अवैध खनन /परिवहन नियमावली के सुसंगत धाराओं अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

16. चिन्हित क्षेत्र के 200 मीटर अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम के भाग में अवैध खनन की जिम्मेदारी सफल बोलीकर्ता/अनुज्ञाधारक की होगी।सफल बोलीकर्ता द्वारा गधेरे को चैनलाईज करते समय अवशिष्ट मलवे का गधेरे के दोनों किनारों मे व्यवस्थित रूप से संरक्षित किया जाना होगा जिससे गधेरे में प्रवाहित होने वाला जल मध्य भाग की ओर जा सके।

खुली बोली/नीलामी की कार्यवाही किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अन्तिम निर्णय समिति के अध्यक्ष के अधीन होगा।

(राहुल शाह)

उपजिलाधिकारी,सल्ट खुमाड़/भिकियासैण।

<u>कार्यालय उपजिलाधिकारी भिकियासैण/सल्ट खुमाड़</u>

संख्या 503/विविध-रिवर ट्रेनिग नीलामी/2019-20 दिनांक 20 जून 2020

प्रतिलिपिः-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रभागीय वनाधिकारी,अल्मोड़ा वन प्रभाग,अल्मोड़ा।

3. अधिशासी अभियंता,सिंचाई खण्ड खण्ड,रानीखेत।

4. भू-वैज्ञानिक/खान अधिकारी,अल्मोड़ा।

5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,अल्मोड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद अल्मोड़ा की बेबसाइट https://almora.nic.in/ में अपलोड करने का कष्ट करें

(राहुल शाह)

उपजिलाधिकारी,सल्ट खुमाड़/भिकियासैण।